राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 15 नवम्बर, 1999

क्रमांक 2081-ज-2-99/13316.—श्री ज्ञान सिंह, पुत्र श्री नानक सिंह निवासी गांव नसरौली, तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला की पूर्वी पंजाब पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 527-ज-1-78/10436, दिनांक 10 अप्रैल, 1978 द्वारा रबी, 1978 से 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री ज्ञान सिंह की दिनांक 1 अगस्त, 1998 की हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री ज्ञान सिंह की पत्नी श्रीमति अमर कौर के नाम रबी, 1999 से 1000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 16/20 फरवरी, 2000

क्रमांक 2034-ज-2-99/1512.—श्री मनफूल, सपुत्र श्री हंसा सिंह, निवासी गांव बलीयाली, तहसील बवानीखेड़ा, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 1 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1820-ज-2-82/43004, दिनांक 9 दिसम्बर, 1982 द्वारा रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी और बाद में सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री मनफूल सिंह की दिनांक 13 फरवरी, 1997 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री मनफूल सिंह की पत्नी श्रीमती कश्मीरा देवी के नाम रबी, 1997 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 2286-ज-2-99/1515.—श्री हरनाम सिंह, पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी गांव अन्जलथली, तहसील नीलोखेड़ी, जिला करनाल की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री हरनाम सिंह की दिनांक 15 जुलाई, 1998 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री हरनाम सिंह की पत्नी श्रीमती माया कौर के नाम रबी, 1998 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

(हस्ता०) . . .,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।